उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 2019

सा.का.नि. 255.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर, आचार्य (कृषि रसायन) और सहायक आचार्य (कृषि रसायन) भर्ती नियम, 2016 और राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर आचार्य कृषि रसायन, सहायक आचार्य कृषि रसायन और कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (कृषि रसायन) भर्ती नियम, 2005 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधीन राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर में आचार्य (कृषि रसायन), सहायक आचार्य (कृषि रसायन) और कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (कृषि रसायन) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर आचार्य (कृषि रसायन), सहायक आचार्य (कृषि रसायन) और कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (कृषि रसायन) भर्ती नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**— पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य शैक्षिक अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयुसीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—कोई व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी

6. **व्यवृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
1. आचार्य (कृषि रसायन)	01*(2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह “क” राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर 13 (1,23,100-2,15,900 रुपए)

चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं
(5)	(6)	(7)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु सीमा और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	मिश्रित पद्धति: प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति(अल्पकालिक संविदा सहित)

प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है।
(11)	(12)
प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित): केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्र अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों अथवा अर्ध सरकारी अथवा स्वशासी अथवा कानूनी संस्थानों के वे अधिकारी: (क) (i) जो मूल काडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धरण किए हुए हैं; (ii) मूल काडर/विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 (रुपए 78,800 – 2,09,200) अथवा समकक्ष स्तर में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की हो; और (iii) मूल काडर अथवा विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (रुपए 67,700 – 2,08,700) अथवा समकक्ष स्तर में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में दस वर्ष की सेवा की हो; और (ख) निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएँ और अनुभव रखते हों, अर्थात:- अनिवार्य: (क) (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से कृषि रसायन में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा एक विषय के रूप में कृषि रसायन सहित रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री; और (ii) कृषि रसायन में अनुसंधान कार्य का बारह वर्ष का अनुभव अथवा शर्करा कारखाने के गन्ना विभाग अथवा अन्य संबंधित औद्योगिक यूनिट में बारह वर्ष का कार्य करने का अनुभव अथवा डिग्री स्तर पर कृषि रसायन में बारह वर्ष का शिक्षण अनुभव; अथवा (i) ऊपर उल्लिखित अनिवार्य शैक्षणिक अर्हताओं अर्थात कृषि रसायन	लागू नहीं होता

में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा एक विषय के रूप में कृषि रसायन सहित रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से रसायन विज्ञान में डॉक्टरेट; और (ii) किसी शर्करा कारखाने के गन्ना विभाग/अन्य संबंधित औद्योगिक यूनिट में पांच वर्ष का कार्य करने का अनुभव; अथवा डिग्री स्तर पर कृषि रसायन में बारह वर्ष का शिक्षण अनुभव । **टिप्पणी** 1: अनिवार्य शैक्षणिक अर्हताएँ प्राप्त करने के बाद प्राप्त किए गए अनुभव पर विचार किया जाएगा। **टिप्पणी 2:** ऐसे विभागीय सहायक आचार्य पर भी प्रतिनियुक्त अधिकारियों के साथ विचार किया जाएगा जिन्होने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (रुपए 67,700 – 2,08,700) में दस वर्ष की नियमित सेवा की है और यदि उक्त पद पर नियुक्ति हेतु ऐसे व्यक्ति का चयन कर लिया जाता है तो इसे प्रोन्नति द्वारा भरा हुआ माना जाएगा। टि**प्प**णी 3: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि है साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टि**प्प**णी 4: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	

वे परिस्थितियाँ, जिनमें भर्ती करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)
संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)
2. सहायक आचार्य (कृषि रसायन)	01*(2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह “क” राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर 11 (रुपए 67,700 - 2,08,700)

(5)	(6)	(7)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	मिश्रित पद्धति: प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति(अल्पकालिक संविदा सहित)

(11)	(12)
प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित): केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्र अथवा	लागू नहीं होता

मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों अथवा अर्ध सरकारी अथवा स्व-शासी अथवा कानूनी संस्थानों के वे अधिकारी: (क) (i) जो मूल काडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; (ii) मूल काडर/ विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (रुपए 56,100 – 1,77,500) अथवा समकक्ष स्तर में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की हो; अथवा (ख) निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव रखते हों, अर्थात:- अनिवार्य: (क) (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से कृषि रसायन में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा एक विषय के रूप में कृषि रसायन सहित रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री; और (ii) कृषि रसायन में अनुसंधान कार्य का पांच वर्ष का अनुभव अथवा शर्करा कारखाने के गन्ना विभाग अथवा अन्य संबंधित औद्योगिक यूनिट में पांच वर्ष का कार्य करने का अनुभव अथवा डिग्री स्तर पर कृषि रसायन में पांच वर्ष का शिक्षण अनुभव; अथवा (ख) ऊपर उल्लिखित अनिवार्य शैक्षणिक अर्हताओं अर्थात कृषि रसायन में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा एक विषय के रूप में कृषि रसायन सहित रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से रसायन विज्ञान में डॉक्टरेट; और (i) किसी शर्करा कारखाने के गन्ना विभाग/अन्य संबंधित औद्योगिक यूनिट में तीन वर्ष का कार्य करने का अनुभव; अथवा डिग्री स्तर पर कृषि रसायन में बारह वर्ष का शिक्षण अनुभव। टिप्पणी 1: अनिवार्य शैक्षणिक अर्हताएँ प्राप्त करने के बाद प्राप्त किए गए अनुभव पर विचार किया जाएगा। टिप्पणी 2: ऐसे विभागीय कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (कृषि रसायन) पर भी प्रतिनियुक्ति हेतु बाहरी अभ्यर्थियों के साथ विचार किया जाएगा जिन्होने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (रुपए 56,100 – 1,77,500) में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है और यदि उक्त पद पर नियुक्ति हेतु ऐसे व्यक्ति का चयन कर लिया जाता है तो इसे प्रोन्नति द्वारा भरा हुआ माना जाएगा। टिप्पणी 3: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पणी 4: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	
(13)	
संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।	

(1)	(2)	(3)	(4)
3. कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (कृषि रसायन)	01*(2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह "क" राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर 10 (रुपए 56,100 -1,77,500)

(5)	(6)	(7)
लागू नहीं होता।	प्रोन्नत अधिकारियों हेतु दो वर्ष।	लागू नहीं होता।

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	मिश्रित पद्धति: प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति(अल्पकालिक संविदा सहित)

(11)	(12)
प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित): केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्र अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों अथवा अर्ध सरकारी अथवा स्व शासी अथवा कानूनी संस्थानों के वे अधिकारी: (क) (i) जो मूल काडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; (ii) मूल काडर/ विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (रुपए 47,600 – 1,51,100) अथवा समकक्ष स्तर में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में दो वर्ष की सेवा की हो; अथवा (iii) मूल काडर/ विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (रुपए 44,900 – 1,42,400) अथवा समकक्ष स्तर में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में तीन वर्ष की सेवा की हो; अथवा (iv) मूल काडर/ विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (रुपए 35,400 – 1,12,400) अथवा समकक्ष स्तर में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में आठ वर्ष की सेवा की हो; और (ख) निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव रखते हों, अर्थात:- अनिवार्य: (क) (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से कृषि रसायन में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा एक विषय के रूप में कृषि रसायन सहित रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री; और (ii) कृषि रसायन में अनुसंधान कार्य का तीन वर्ष का अनुभव अथवा शर्करा कारखाने अथवा डिस्टिलरी अथवा अन्य संबंधित औद्योगिक यूनिट में तीन वर्ष का कार्य करने का अनुभव अथवा डिग्री स्तर पर कृषि रसायन में तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव। टिप्पण: अनिवार्य शैक्षणिक अर्हताएँ प्राप्त करने के बाद प्राप्त किए गए अनुभव पर विचार किया जाएगा। वांछनीय:	समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (स्थायीकरण पर विचार हेतु): 1. संयुक्त सचिव (शर्करा), उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय अध्यक्ष 2. निदेशक, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर सदस्य 3. निदेशक/उप सचिव, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय सदस्य

(ख) ऊपर उल्लिखित अनिवार्य शैक्षणिक अर्हताओं अर्थात कृषि रसायन में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा एक विषय के रूप में कृषि रसायन सहित रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से रसायन विज्ञान में डॉक्टरेट। टिप्पणी 1: ऐसे विभागीय अनुसंधान सहायक (कृषि रसायन) पर भी प्रतिनियुक्ति हेतु बाहरी अभ्यर्थियों के साथ विचार किया जाएगा जिन्होने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (रुपए 35,400 – 1,12,400) में आठ वर्ष की नियमित सेवा की है और यदि उक्त पद पर नियुक्ति हेतु ऐसे व्यक्ति का चयन कर लिया जाता है तो इसे प्रोन्नति द्वारा भरा हुआ माना जाएगा। टिप्पणी 3: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि है साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पणी 4: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु;सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	

(13)
संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. ए-12018/3/2010-एसए)]

अनुराग कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

New Delhi, the 30th July, 2019

G.S.R. 255.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the National Sugar Institute, Kanpur, Professor (Agriculture Chemistry), Assistant Professor (Agriculture Chemistry), Recruitment Rules, 2016 and Professor of Agricultural Chemistry, Assistant Professor of Agriculture Chemistry and Junior Scientific Officer (Agriculture Chemistry) Recruitment Rules, 2005 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Professor (Agriculture Chemistry), Assistant Professor (Agriculture Chemistry) and Junior Scientific Officer (Agriculture Chemistry) in the National Sugar Institute, Kanpur under the Department of Food and Public Distribution, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, namely :-

1. (1) **Short title and commencement.—**These rules may be called the National Sugar Institute, Kanpur, Professor (Agriculture Chemistry), Assistant Professor (Agriculture Chemistry) and Junior Scientific Officer (Agriculture Chemistry), Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in pay matrix.—**The number of posts, their classification, level in the pay matrix relating thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. .—**The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.-** No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-Servicemen and other categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Professor (Agriculture Chemistry).	* 01 (2019) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial.	Level 13 (Rs.1,23,100-2,15,900).

Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(5)	(6)	(7)
Not Applicable.	Not Applicable.	Not Applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not Applicable.	Not Applicable.	Composite method: Promotion/ deputation (including short-term contract).

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/absorption is to be made.	If a Departmental Promotion committee exists, what is its composition.
(11)	(12)
Promotion/deputation (including short-term contract). Officers under the Central or State Governments or Union territory or recognised research institutes or Universities or public sectors undertakings or semi Government or autonomous or statutory organization,- (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre/ department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto in level 12 (Rs. 78,800-2,09,200) in the pay matrix or equivalent, in the parent cadre / department; or (iii) with ten years service in the grade rendered after appointment thereto in level 11 (Rs. 67,700-2,08,700) in the pay matrix or equivalent, in the parent cadre / department; and (b) possessing the educational qualifications and experience as under:-	Not applicable

Essential:- (A) (i) Masters degree in Agriculture Chemistry or Masters degree in Chemistry with Agriculture Chemistry as one of the subject from a recognised University or Institute; and (ii) twelve years' experience of research work in Agriculture Chemistry or twelve years working experience in cane department of sugar factory or other related industrial units or twelve years teaching experience at degree level in Agriculture chemistry; or (B) (i) Doctorate in Chemistry from a recognised University or Institute with essential qualifications specified above, viz., Masters degree in Agriculture Chemistry or Masters degree in Chemistry with Agriculture Chemistry as one of the subject, from recognised University or Institute; and: ii) five years working experience in cane department of sugar factory or other related industrial units; or five years teaching experience at degree level in Agriculture chemistry. Note-1.- The experience shall be considered after attaining the essential educational qualifications; Note-2.- The Departmental Assistant Professor (Agriculture Chemistry) with ten years regular service in level 11 (Rs. 67,700 - 2,08,700) in the pay matrix shall also be considered along with deputationists and in case such person is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion. Note-3 The period of deputation (including short term contract), including the period of deputation (including short term contract) in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. Note-4:- The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.	

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted.
(13)
Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)
2. Assistant Professor (Agriculture chemistry)	* 01 (2019) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial.	Level 11 (Rs.67,700-2,08,700).

(5)	(6)	(7)
Not Applicable.	Not Applicable.	Not Applicable.

(8)	(9)	(10)
Not Applicable.	Not Applicable.	Composite method: Promotion/ deputation (including short-term contract).

(11)	(12)
Promotion/deputation (including short-term contract).	Not applicable

Officers under the Central or State Governments or Union territory or recognised research institutes or universities or public sectors undertakings or semi government or autonomous or statutory organisation.- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/ department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto in level 10 (Rs. 56,100-1,77,500) in the pay matrix or equivalent, in the parent cadre / department; or (b) possessing the educational qualifications and experience as under:- Essential: (A) (i) Masters degree in Agriculture Chemistry or Masters degree in Chemistry with Agriculture Chemistry as one of the subject from a recognised University or Institute; and (ii) five years' experience of research work in Agriculture Chemistry or five years working experience in cane department of sugar factory or other related industrial units or five years teaching experience at degree level in Agriculture chemistry; or (B) (i) Doctorate in Chemistry from a recognised University or Institute with essential qualifications specified above, viz., Masters degree in Agriculture Chemistry or Master's degree in Chemistry with Agriculture Chemistry as one of the subject from recognised University or Institute; and (ii) three years' working experience in cane department of sugar factory or other related industrial units or three years teaching experience at degree level in Agriculture chemistry. Note 1.- The experience shall be considered after attaining the essential educational qualifications; Note 2.- The Departmental Junior Scientific Officers (Agriculture Chemistry) in level-10 Rs. 56,100-1,77,500 in the pay matrix having five years' regular service in the grade shall also be considered along with outsiders for appointment on deputation and in case such person is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion. Note 3.- The period of deputation (including short term contract), including the period of deputation (including short term contract) in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. Note 4.-The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.	

(13)
Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)
3. Junior Scientific Officer (Agriculture Chemistry)	* 01 (2019) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial.	Level 10 (Rs.56,100-1,77,500).

(5)	(6)	(7)
Not Applicable.	Not Applicable.	Not Applicable.

(8)	(9)	(10)
Not Applicable	Two years for promotees	Composite method: Promotion/ deputation (including short-term contract).

(11)	(12)
Promotion/ deputation (including short-term contract). Officers under the Central or State Governments or Union Territory or recognised research institutes or Universities or Public Sectors Undertakings or semi Government or Autonomous bodies or statutory organization,- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/ department; or (ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level 8 (Rs.47,600 - 1,51,100) in the pay matrix or equivalent, in the parent cadre / department or equivalent; or (iii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level 7 (Rs.44,900 - 1,42,400) in the pay matrix or equivalent, in the parent cadre / department or equivalent; or (iv) with eight years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level 6 (Rs.35,400 - 1,12,400) in the pay matrix or equivalent, in the parent cadre / department; and (b) possessing the educational qualifications and experience as under. Essential: (a) (i) Masters degree in Agriculture Chemistry or Masters degree in Chemistry with Agriculture Chemistry as one of the subject from a recognized University or Institute; and (ii) three years' experience of research work in Agriculture Chemistry or three years working experience in sugar factory or distillery or other related industrial units or three years teaching experience at degree level in Agriculture Chemistry. Note.- The experience shall be considered after the essential educational qualifications. **Desirable:-** (i) Doctorate in Chemistry from a recognised University or Institute with essential qualification specified above, viz., masters degree in Agriculture Chemistry or masters degree in Chemistry with Agriculture Chemistry as one of the subjects from a recognized University or Institute; **Note 1.-** The Departmental Research Assistant (Agriculture Chemistry) in level 6 (Rs.35,400 - 1,12,400) in the pay matrix with eight years regular service in the grade shall also be considered along with outsiders for appointment on deputation and in case such person is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion. **Note 2.-** The Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3.-** The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as	Group A Departmental Promotion Committed (for considering confirmation): 1. Joint Secretary (Sugar), Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution. -Chairman 2. Director, NSI, Kanpur -Member 3. Director/ Deputy Secretary, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution - Member

on the closing date of receipt of applications.	

(13)
Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

[F. No. A-12018/3/2010-SA]

ANURAG KUMAR, Under Secy.

इस्पात मंत्रालय

नई दिल्ली, 17 जून, 2019

सा.का.नि. 256.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस्पात मंत्रालय में सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम इस्पात मंत्रालय (सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी) भर्ती नियम, 2019 है।

(2) ये शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं तथा उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है] उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्र सरकार का यह समाधान हो कि ऐसा विवाह, उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहाँ केन्द्र सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडें वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।